-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास सहित अलग-अलग 08 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को कुल 47 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **फलस्वरुप एक अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास सहित अलग-अलग 08 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को कुल 47 हजार रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 126/10 धारा 273 भादवि व 2/3 उ0प्र0 खेसारी अधिनियम(प्रतिबन्धित) 1983 के अभियुक्त बासदेव पुत्र छेदीलाल गुप्ता निवासी हरदौली रोड बबेरु जनपद बांदा को **03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 229/95 धारा 324/323 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-कल्लू सिंह पुत्र रामखिलावन, 2-कैरा सिंह पुत्र रामखेलावन निवासीगण तिलौसा थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 124/06 धारा 279/337/427 भादवि के अभियुक्त रणवीर सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी सामियाना थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 94/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त नरेश पुत्र केशन सिंह निवासी औदहा थाना मरका जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व **500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग (एनसीआर) 55/10 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त रामपाल प्रजापति निवासी मनकहड़ी थाना कमासिन जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 54/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त चुन्नु पुत्र शिवनाथ निवासी फफुंदी थाना बबेरु जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व **500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
7. थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग 119/90 धारा 420 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-एस.के. द्विवेदी, 2-वी.पी. प्रजपति, 3-रघुराज प्रसाद व 4- फूलचन्द्र को कुल **28000/(प्रत्येक के 07 हजार) रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
8. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग 113/04 धारा 324/323/504/506 भादवि के अभियुक्त छत्रपाल सिंह पुत्र शिवनन्दन निवासी अधरोड़ी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।